E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0 :01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा अमीन)–12/2022 2891 **पटना, दिनांक** : 17/10/2022

आदेश

बन्दोबस्त कार्यालय, पटना का पत्रांक–82 दिनांक 24.03.2022 एवं पत्रांक–109 दिनांक 01.06.2022 द्वारा विज्ञापन सं0–02/2019 के अन्तर्गत नियोजित श्री रवि प्रभात (Emp ID.-SSA05121), संविदा अमीन (अमानत/सर्वेयर) के आधार कार्ड में नाम एवं जन्म तिथि EPF UAN-100805739938 में गलत प्रदर्शित होने की सूचना दी गयी है।

उक्त संसूचित पत्र के आलोक में निदेशालय पत्रांक–1696 दिनांक 12.07.2022 द्वारा श्री रवि प्रभात, संविदा अमीन से आधार कार्ड में नाम एवं जन्म तिथि EPF UAN-100805739938 में गलत प्रदर्शित होने के विरुद्ध एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया है। स्पष्टीकरण में यह भी निदेशित किया गया है कि उक्त त्रुटि का निराकरण कर कार्यालय में समर्पित नहीं किये जाने की स्थिति में गलत व्यक्तिगत विवरण के आधार पर नियोजन प्राप्त करने के आरोप में संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा।

उक्त आलोक में आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 15.07.2022 को दिया गया है। समर्पित स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त पाया गया कि उनके द्वारा उक्त त्रुटि का निराकरण हेतु कुछ दिनों के साथ–साथ एक और मौका की माँग की गयी है।

निदेशालय द्वारा दिये गये आदेश एवं उनके द्वारा समय की माँग के अनुरुप त्रुटि निराकरण से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होने के फलस्वरुप इनसे पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–2085 दिनांक 24.08.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग इस शर्त्त के साथ की गयी है कि इतनी लम्बी अवधि के बाद भी उक्त त्रुटि का निराकरण नहीं किये जाने के कारण भ्रामक सूचना देकर नियोजन प्राप्त करने के आरोप में संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा। पुनः उनके द्वारा एक आवेदन इस कार्यालय में दिया गया है, जो दिनांक 05.09.2022 को प्राप्त है, जिसमें अंकित किया गया है कि उन्हें त्रुटि के निराकरण हेतु अन्तिम मौका के रुप में दो माह और समय की जरुरत है।

ध्यातव्य है कि बन्दोबस्त कार्यालय, पटना द्वारा अपने 3 पत्रों 178/25.08.2021, 73/14.03.2022 तथा 103/13.05.2022 के द्वारा पूर्व मे ही श्री रवि प्रभात को इसका निराकरण करने हेतु सूचित किया जा चुका है। अतः इनके द्वारा दिये गये आवेदन में बार–बार समय की माँग करना और त्रुटिकरण का निराकरण नहीं करना यह परिलक्षित करता है कि ये उक्त त्रुटि का निराकरण नहीं करना चाहते हैं और इनका कथन एवं व्यक्तिगत विवरण भी संदेहास्पद प्रतीत होता है। आज दिनांक 14.10.2022 तक भी इनकी ओर से निराकरण कर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वरीय पदाधिकारी द्वारा दिये जा रहे आदेश का पालन न कर अनावश्यक रुप से समय की माँग करना कर्त्तव्यहीनता एवं आदेशोल्लघंन के साथ–साथ लापरवाही का द्योतक है। इस तरह के अनुशासनहीन कर्मी को सेवा में बनाये नही रखा जा सकता है। अतः गलत व्यक्तिगत विवरण देकर नियोजन प्राप्त करने के आरोप में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 में निहित प्रावधानो के अन्तर्गत **श्री रवि प्रभात, (Emp ID.-SSA05121), संविदा अमीन (अमानत/सर्वेयर)** कर्मी का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

14/10/22

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
कृ0पृ0उ0

D:\Kavita-Y-2022\Bablu Ji\Order\12-2022-13-10-2022.doc

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा अमीन)–12/2022 2896 **पटना, दिनांक** : 17/10/2022

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना को उनके पत्रांक–109 दिनांक 01.06.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा अमीन)–12/2022 2896 **पटना, दिनांक** : 17/10/2022

प्रतिलिपि : सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), पटना को उनके पत्रांक–82 दिनांक 24.03.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा अमीन)–12/2022 2896 **पटना, दिनांक** : 17/10/2022

प्रतिलिपि : श्री रवि प्रभात (Emp ID.-SSA05121), संविदा अमीन (अमानत/सर्वेयर), बन्दोबस्त कार्यालय, पटना सम्प्रति प्रतिनियुक्त अंचल कार्यालय, पुनपुन (E-mail ID : ravipat2020@gmail.com) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप